झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
आपराधिक विविध याचिका संख्या 3476/2022

1. रणेंद्र चंद्र घोष, उम्र- लगभग 77 वर्ष, पिता- स्वर्गीय हरेंद्र चंद्र घोष, निवासी- एच. संख्या 1, खरखाई लिंक रोड, बिष्टुपुर, डाकघरऔर थाना बिष्टुपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, टाउन- जमशेदपुर, झारखंड

2. बीना घोष, उम्र- लगभग 70 वर्ष, पत्नी- चितरंजन घोष की पत्नी, निवासी- एच. संख्या 1, खरखाई लिंक रोड, बिष्टुपुर, डाकघर और थाना- बिष्टुपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, टाउन-जमशेदपुर, झारखंड

3. मीता घोष, उम्र- लगभग 35 वर्ष, पिता- स्वर्गीय बीरेंद्र चंद्र घोष, निवासी एच. संख्या 1, खरखाई लिंक रोड, बिष्टुपुर, डाकघर और थाना- बिष्टुपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, टाउन- जमशेदपुर, झारखंड

4. धीरेन्द्र नाथ घोष, उम्र- लगभग 64 वर्ष, पिता- स्वर्गीय हरेंद्र चंद्र घोष, निवासी- एच. संख्या 1, खरखाई लिंक रोड, बिष्टुपुर, डाकघर और थाना- बिष्टुपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, टाउन- जमशेदपुर, झारखंड

5. बिधान चंद्र घोष, उम्र- लगभग 45 वर्षीय, पिता- स्वर्गीय वीरेंद्र चंद्र घोष के पुत्र, निवासी- एच. संख्या 1, खरखाई लिंक रोड, बिष्टुपुर, डाकघर और थाना- बिष्टुपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, टाउन- जमशेदपुर, झारखंड

6. अर्पणा घोष @अपर्णा घोष, उम्र- लगभग 63 वर्ष, पत्नी- स्वर्गीय बीरेंद्र चंद्र घोष, निवासी- एच. संख्या 1, खरखाई लिंक रोड, बिष्टुपुर, डाकघर और थाना- बिष्टुपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, टाउन- जमशेदपुर, झारखंड

7. सुब्रतो घोष, उम्र- लगभग 59 वर्ष, पिता- स्वर्गीय हरेंद्र चंद्र घोष, निवासी- एच. संख्या 1, खरखाई लिंक रोड, बिष्टुपुर, डाकघर और थाना बिष्टुपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, टाउन- जमशेदपुर, झारखंड

8. अशोक कुमार घोष, उम्र- लगभग 65 वर्ष, स्वर्गीय हरेंद्र चंद्र घोष, निवासी एच. संख्या 1, खरखाई लिंक रोड, बिष्टुपुर, डाकघर और थाना- बिष्टुपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, टाउन- जमशेदपुर, झारखंड

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. संजीव सबलोक, उम्र- लगभग 48 वर्ष, पिता- स्वर्गीय बी. एम. सबलोक, निवासी- 4 आई. सी. का रोड क्षेत्र, बिष्टुपुर, डाकघर और थाना- बिष्टुपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड

.....विपक्षीगण

याचिकाकर्तागण के लिए : श्री जैद इमाम, अधिवक्ता
राज्य के लिए : सुश्री प्रिया श्रेष्ठ, विशेष लोक अभियोजक
विपक्षी संख्या 2 : श्री अंकित विशाल, अधिवक्ता

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः - दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है। बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 172/2018 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ जो जी. आर. संख्या 1770/2018 के अनुरूप है और दिनांक 29.01.2019 का आदेश भी (अनुलग्नक-5 में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,) जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम द्वारा उक्त मामले में पारित आदेश , जिसके तहत और जिसके अंतर्गत, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, ने भारतीय दंड सहिंता की धारा 406/420/467/468/465/471 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता भूमि के मालिक हैं और सूचना देने वाला बिल्डर है और इस तथ्य को दबाने वाले याचिकाकर्ता-बिल्डर के बीच समझौता किया गया था कि निर्माण की योजना को पांच मंजिला के बजाय केवल तीन मंजिला के लिए अनुमोदित किया गया था, जिसके संबंध में समझौता किया गया था, लेकिन यह जानने के बाद भी, सूचना देने वाले ने फिर से याचिकाकर्ता भूमि मालिकों के साथ एक और समझौता किया, जिसमें याचिकाकर्ता भूमि मालिकों के शेयरों को निर्मित क्षेत्र के 55% से घटाकर 50% कर दिया गया। यह भी आरोप लगाया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य को दबा दिया कि रिट याचिका संख्या 4510/2010 में इस अदालत द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है, लेकिन इसके बारे में जानने के बाद भी, सूचना देने वाले द्वारा एक समझौता किया गया था और सूचना देने वाले और उसके सहयोगी बिल्डरों द्वारा याचिकाकर्ताओं को दी गई राशि रूपये 2,65,00,000/-। आगे आरोप है कि याचिकाकर्ता संख्या 4 ने अपने हिस्से के लिए आवंटित फ्लैटों में से एक को सूचना देने वाले से प्राप्त भुगतान के लिए लेखा के बिना तीसरे पक्ष को बेच दिया और लिखित रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की और जाँच के पूरा होने के बाद, पुलिस ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड सहिंता

की धारा 406/420/467/468/465/471 के तहत दंडनीय अपराध किए हैं। और विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने बिष्टुपुर थाना के कांड संख्या 172/2018 के संबंध में दिनांक 29.01.2019 के आदेश द्वारा उक्त अपराधों का संज्ञान लिया है जो जी. आर. 1770/2018 के अनुरूप है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि पक्षों के बीच विवाद विशुद्ध रूप से एक नागरिक विवाद है और यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जानकारी के कथित दमन को जानने के बाद, सूचना देने वाले ने उनके साथ एक समझौता किया है और इस तरह याचिकाकर्ताओं द्वारा तथ्यों के कथित दमन को माफ कर दिया है, वेसा होल्डिंग्स (प्राइवेट) लिमिटेड और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (2015) 8 एस. सी. सी. 293 के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए में रिपोर्ट किया गया, जिसका अनुच्छेद 13 निम्नानुसार है:-

"13. यह सच है कि दिए गए तथ्यों का एक समूह एक दीवानी गलती के साथ-साथ एक आपराधिक अपराध भी बना सकता है और केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता के लिए एक दीवानी उपचार उपलब्ध हो सकता है जो स्वयं एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। असली परीक्षा यह है कि शिकायत में लगाए गए आरोप धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं। वर्तमान मामले में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि शुरुआत में ही अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से धोखा देने का कोई इरादा था जो भारतीय दंड सहिंता की धारा 420 के तहत अपराध के लिए एक शर्त है। हमारे विचार में शिकायत किसी भी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करती है। आपराधिक कार्यवाही को तब प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए जब यह दुर्भावनापूर्ण या अन्यथा अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया जाता है। उच्च न्यायालयों को इस शक्ति का प्रयोग करते हुए न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने का भी प्रयास करना चाहिए। हमारी राय में, इन तथ्यों को देखते हुए पुलिस जांच जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करने में त्रुटि की। (जोर दिया गया)

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि भारतीय दंड सहिंता की धारा 420 के

तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए, आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि शुरुआत में, आरोपी व्यक्तियों की ओर से धोखा देने का कोई इरादा था और यह भारतीय दंड सहिंता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है और इस मामले में, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है, इसलिए भारतीय दंड सहिंता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है।

6. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय दंड सहिंता की धारा 467/468/465/471 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बिल्कुल कोई आरोप नहीं है याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जालसाजी करने या कोई गलत दस्तावेज बनाने का आरोप। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि न केवल पक्षों के बीच विवाद एक नागरिक विवाद है, बल्कि वास्तव में, याचिकाकर्ताओं ने मूल (शीर्षक) मुकदमा संख्या 10/2021 में विद्वान् सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) I, जमशेदपुर के समक्ष यह घोषणा करने के अनुरोध के साथ कि अनुसूचिकी संपत्ति वादियों की पूर्ण संपत्ति है और प्रतिवादी को वहां से बेदखल करने के आदेश और अन्य राहतों के लिए भी, जिसमें सूचना देने वाले को प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और यह अनुसूचिकी सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, I, जमशेदपुर के समक्ष लंबित है।

7. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संपत्ति के बेईमान दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है, इसलिए भारतीय दंड सहिंता की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है, इसलिए, बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 172/2018 के संबंध में दिनांक 29.01.2019 (संलग्नक-5) के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही जो जी. आर. 1770/2018 के अनुरूप है को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

8. विद्वान् लोक अभियोजक जो राज्य की ओर से पेश हो रहें हैं और विपक्षी संख्या 2 की ओर से पेश हो रहे विद्वान अधिवक्ता बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 172/2018 जो जी. आर. संख्या 1770/2018 के आदेश के अनुरूप है और दिनांक 29.01.2019 (संलग्नक-5) के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रार्थना का जोरदार विरोध करता है। विपक्षी संख्या 2 प्रीति सराफ और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है जो (2021) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस. सी. 206 में और प्रस्तुत करता है कि केवल इसलिए कि पक्षों के बीच वाणिज्यिक लेन-देन हुआ

था, यह अभिनिर्धारित करने का कारण नहीं हो सकता है कि धोखाधड़ी का अपराध, इस तरह के लेन-देन से बच जाएगा और मामले की जांच की पूर्व-छूट केवल बहुत ही चरम मामलों में उचित होगी जैसा कि हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य 1992 में अनुपूरक 1 SCC 335 के मामले में संकेत दिया गया था और प्रस्तुत किया गया कि यह आपराधिक विविध याचिकाबिना किसी योग्यता के, खारिज कर दिया जाए।

9. बार में किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के माध्यम से सावधानीपूर्वक जाने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है जैसा कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है (2005) 10 एस.सी.सी. 336, अनुच्छेद संख्या 6 जिनमें निम्नानुसार हैः-

"6. xxxx xxxx xxxx यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा जहां शुरुआत में ही कोई धोखाधड़ी की गई थी। यदि धोखा देने का इरादा बाद में विकसित हुआ है, तो यह धोखा नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि शुरुआत में ही आरोपी व्यक्तियों की ओर से धोखा देने का कोई इरादा था, जो भारतीय दंड सहिंता की धारा 420 के तहत अपराध के लिए एक शर्त है। (जोर दिया गया)"

कि अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा; जहां शुरुआत में ही कोई धोखाधड़ी की गई थी। यदि धोखा देने का इरादा बाद में विकसित हुआ है, तो यह धोखा नहीं होगा।

10. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरुआत से ही सूचना देने वाले को धोखा देने का कोई इरादा होने का कोई आरोप नहीं है, इसलिए, इस अदालत की सुविचारित राय में, यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरे आरोप को पूरी तरह से सही माना जाता है, फिर भी भारतीय दंड सहिंता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है। जहां तक भारतीय दंड सहिंता की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, भारतीय दंड संहिता की

धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित सामग्री स्थापित की जानी चाहिएः-

(i) आपराधिक मनःस्थिति,

(ii) किसी के अपने उपयोग में बेईमानी से गबन या रूपांतरण होना चाहिए, या कानूनी निर्देश या किसी कानूनी अनुबंध के उल्लंघन में उपयोग होना चाहिए,

(iii) अभियुक्त ने संपत्ति का बेईमानी से उपयोग या निपटान किया।

अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा सौंपी गई संपत्ति के किसी भी बेईमान दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है। मान लीजिए, याचिकाकर्ता भूमि मालिक और फ्लैटों के कई सेटों का निर्माण सूचना देने वाले द्वारा इस शर्त के साथ किया गया था कि निर्मित संपत्ति का 50% बिल्डरों के हिस्से में जाएगा जबकि शेष 50% याचिकाकर्ताओं के पास होगा। जहां तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भौतिक तथ्यों को दबाने और मुखबिर और अन्य बिल्डरों के साथ समझौता करने के आरोप का संबंध है, यह मुखबिर का स्वीकृत मामला है कि दबाए गए तथ्यों को जानने के बाद भी, पक्षों के बीच समय-समय पर नया समझौता किया गया है, इसलिए इसे विश्वास का आपराधिक उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ता संख्या 4 के खिलाफ यह आरोप है कि उसने पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार फ्लैटों का हिस्सा बेच दिया। ऐसी परिस्थितियों में, इस अदालत को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि भले ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से सही माना जाता है, फिर भी भारतीय दंड सहिंता की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है।

11. जहां तक भारतीय दंड सहिंता की धारा 467 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, उक्त अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व यह हैः-

(i) अभियुक्त ने जालसाजी की;

(ii) उसने जाली दस्तावेज तैयार करके ऐसा किया जो एक मूल्यवान प्रतिभूति या भारतीय दंड संहिता की धारा 467 में उल्लिखित दस्तावेज है।

12. जहां तक विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील के तर्क का सवाल है, प्रीति सराफ और अन्य बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) और अन्य (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय के संबंध में का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पक्षकारों के बीच वाणिज्यिक लेन-देन होने पर भी, यदि धोखाधड़ी का अपराध किया गया है तो भी आपराधिक कार्यवाही ऐसे वाणिज्यिक लेन-देन के लिए पक्षकारों द्वारा किए गए सिविल उपचार के साथ-साथ चल सकती है, लेकिन इस मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर संकेत दिया गया है, प्राथमिकी में लगाए गए आरोप उन अपराधों के घटकों का गठन नहीं करते हैं जिनके संबंध में विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है, इसलिए इस मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, प्रीति सराफ और अन्य बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) और अन्य (उपर्युक्त के निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

13. अब मामले के तथ्यों पर आते हुए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी झूठा दस्तावेज तैयार करने का कोई आरोप नहीं है। इसलिए, किसी भी झूठे दस्तावेज़ के अस्तित्व के अभाव में, धारा 465,466,467,468 के तहत या भारतीय दंड सहिंता की धारा 471 के तहत उस मामले के लिए दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है, क्योंकि एक झूठे दस्तावेज़ का अस्तित्व एक है भारतीय दंड सहिंता की धारा 467/468/465 या 471 के तहत दंडनीय अपराधों में से प्रत्येक का गठन करने के लिए। इसलिए, इस अदालत का विचार है कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के बराबर होगा, इसलिए, यह एक उपयुक्त मामला है, जहां बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 172/2018 जो जी. आर. संख्या 1770/2018 के संबंध में दिनांक 29.01.2019 (संलग्नक-5) के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही शामिल है को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

14. बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 172/2018 जो जी. आर. संख्या 1770/2018 के संबंध में दिनांक 29.01.2019 (संलग्नक-5) के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही शामिल है को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया गया।

15. परिणामस्वरूप, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति दी जाती है।

निर्णय की तिथि: 04/12/2023 (न्यायमूर्ति, अनिल कुमार चौधरी)

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मदन मोहन प्रिय द्वारा किया गया है।